संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कवनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी हबीबगंज पुलिस थाना के पास भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/3195/वि.यो./नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 24/8/2020

बड़वानी विकास योजना, 2015 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बड़वानी विकास योजना, 2015 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2 कलेक्टर, बडवानी, जिला बडवानी
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बड़वानी

(प्रस्तावित उपान्तरण का विवरण)

अनुसूची

क.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका कमांक	सारणी/ कंडिका / कॉलम का सरल कमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक(5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	बडवानी विकास योजना, 2015	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–14	4	सूचना प्रौद्यौगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–14	7	सूचना प्रौद्यौगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल